न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1347—एक/12 विरूद्ध पारित आदेश दिनाक 23—2—2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 350/अपील/10—11

1 राज राखन सिंह तनय श्री तेज प्रताप सिंह चौहान
2 मार्तण्ड सिंह चौहान तनय श्री तेज प्रताप सिंह
3 मुस0 चमेला देवी बेवा पत्नी शिवनाथ सिंह चौहान उम्र 84 वर्ष पेशा गृह कार्य
4 राजेन्द्र बहादुर सिंह उम्र 60 वर्ष पेशा खेती
5 शीलध्वज सिंह चौहान उम्र 58 पेशा खेती
6 व्यंकट बहादुर सिंह उम्र 54 पेशा खेती
7 जीवेन्द्र सिंह चौहान उम्र 48 पेशा खेती
8 जयराम सिंह तनय स्व0 श्री रघुपति सिंह चौहान
सभी निवासी ग्राम हडबड़ो पत्रालय उपनी थाना कोतवाली
सीधी तहसील गोपदबनास जिला सीधी मध्य प्रदेश

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 सनत कुमार सिंह तनय स्व0 श्री नागेश्वर सिंह चौहानं उम्र 65 वर्ष पेशा खेती
2 रण बहादुर सिंह तनय स्व0 श्री नागेश्वर सिंह चौहान उम्र 52 वर्ष पेशा खेती
3 मु0 महरजुआ बेवा नागेश्वर सिंह उम्र 90 वर्ष पेशा गृह कार्य
4 विजय बहादुर सिंह तनय स्व0 पृथ्वीराज सिंह उम्र 57 वर्ष पेशा नौकरी
5 दान बहादुर सिंह तनय श्री पृथ्वीराज सिंह उम्र 40 वर्ष पेशा खेती
सभी निवासी ग्राम हडबड़ो पत्रालय उपनी तहसील गोपदबनास जिला सीधी

.....अनावेदकगण

श्री विवेक शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री शेषमणि यादव, अभिभाषक, अनावेदकगण

: आ दे श ::

(पारित दिनांक— 10-12 —2015)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 1347—एक/12 म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा के

प्रकरण कमांक 350/अपील/10–11 में पारित आदेश दिनांक 23–2–12 के विरूद्ध राजस्व मण्डल मे प्रस्तुत हुई है ।

2/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । निगरानी मेमों के अनुसार निगराकार कमांक 1 एवं 2 के पिता तेजप्रताप, निगराकार कमांक 4 से 7 के पिता शिवनाथ तथा निगराकार कमांक 8 जयराम के फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर परिवर्तन पंजी बंदोबस्त कमांक 19 में गैर निगराकारगण द्वारा दिनांक 12–9–93 को अनुपयुक्त प्रविष्टि करा ली गई, जिसकी जानकारी निगराकारगण को नहीं मिली । वर्ष 2010 में गैर निगराकारगण द्वारा इसके आधार पर इत्तलावी हेतु आवेदन तहसील गोपदबनास, सीधी में बगैर निगराकारगण को पक्षकार बनाए लगाया गया, जिसकी जानकारी निगराकार कमांक 1 को 20–9–10 को हुई, जिसके बाद नकल लेकर उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी, गोपदबनास के समक्ष, म्याद माफी हेतु धारा 5 के आवेदन सहित, अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब माफी के आवेदन को निरस्त किए जाने के बाद द्वितीय अपील अपर आयुक्त, रीवा के समक्ष हुई, जिन्होंने भी उसे अवधि बाधित मानते हुए खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत हुई है ।

3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए । निगराकारगण के अभिभाषक ने तर्क किया कि जब अपीलीय न्यायालय अपील में आने को समयबाधित मान रहे थे, तो उन्होंने वर्ष 1993 की परिवर्तन पंजी बंदोबस्त की प्रविष्टि के आधार पर वर्ष 2010 में प्रस्तुत इत्तलावी आवेदन को समयबाधित क्यों नहीं माना। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तव में वर्ष 1993 की कथित परिवर्तन पंजी बंदोबस्त कमांक 19 दिनांक 12–9–93 कूटरचना से वर्ष 2010 में ही तैयार की गई थी एवं उस पर अधिकारी के तथा निगराकार पक्ष की ओर से हस्ताक्षर फर्जी है, जिनके संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों ने ना कोई साक्ष्य लिये, ना इश्तहार जारी किया, और ना ही निगराकारगण को पक्षकार बनाकर पक्ष समर्थन का अवसर दिया ।

गैर निगराकारगण के अधिवक्ता ने तर्क किया कि निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद कमांक 3ए/12 में वाद विषय तय किये जाकर बिन्दु–वार निष्कर्ष निकाले गए हैं, जिनके अनुसार निगराकारगण का वाद भूमि पर आधे स्वत्व का दावा प्रमाणित नहीं पाया गया है, तथा परिवर्तन पंजी बंदोबस्त कमांक 19 दिनांक 12–9–93 को अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करने का दावा भी प्रमाणित नहीं पाया गया है । उन्होंने इस पंजी को वास्तविक होना बताया है, तथा यह कहा कि चूंकि प्रकरण में व्यवहार न्यायालय का निर्णय हो चुका है इसलिए राजस्व न्यायालय में उसे उठाया जाना रेस–ज्यूडिकाटा के सिद्धांत से वर्जित है ।

4/ मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क पर विचार करते हुए प्रकरण के अभिलेख का बारीकी से अध्ययन किया गया । इसके आधार पर मैं यह पाता हूँ कि माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, सीधी द्वारा प्रकरण कमांक 3ए/12 में पारित आदेश दिनांक 5–2–2012 में वाद विषय तय किये जाकर बिन्दु–वार निष्कर्ष निकाले गए हैं, जिनके अनुसार निगराकारगण का वाद भूमि पर आधे स्वत्व का दावा प्रमाणित नहीं पाया गया है, तथा परिवर्तन पंजी बंदोबस्त कमांक 19 दिनांक 12–9–93 को अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करने का दावा भी प्रमाणित नहीं पाया गया है । साथ ही, मैं पाता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब माफ ना करने के संबंध में प्रकरण कमांक 426/अपील/09–10 में दिनांक 18–11–10 को स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है, जिसे अपर आयुक्त ने आक्षेपित आदेश दिनांक 23–2–12 से यथावत रखा है, जिसमें मैं कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ । परिणामस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है ।

5/ इसी से संबंधित विषयान्तर्गत, इन्हीं पक्षकारों के मध्य, राजस्व मण्डल के निगरानी प्रकरण कमांक 1344–एक/12 में आदेश दिनांक 6–11–15 अलग से पारित किया गया है, जिसमें प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित कर पक्षकारों के विधि मान्य हितों का विनिश्चय करते हुए, उनके विधि मान्य हिस्से निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं । उस प्रकरण में राजस्व मण्डल द्वारा दिए जा चुके निर्देशों के अनुकम में पक्षकारों को सुनने के, माननीय व्यवहार न्यायालय के निर्णय के एवं अन्य

विधिसंगत आधारों पर निर्णय लेने के लिए तहसीलदार मुक्त हैं । वर्तमान प्रकरण का निर्णय विलंब माफी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों से संबंधित होकर उसी बिन्दु तक सीमित है ।

आदेश पारित ।

पक्ष सूचित हों ।

अभिलेख वापस हों ।

दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश
ग्वालियर